लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल - 462021

www.educationportal.mp.gov.in, www.shikshaportal.mp.gov.in

भोपाल दिनांक 21.12.2022

क्रमांक/समे.छात्र/अभि/01/2022-23/290

प्रति

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश

विषय: प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय संस्थाओं मे अध्ययनरत विद्यार्थियों का नामांकन एवं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का आधार e-KYC करने, तदुपरांत छात्रवृत्ति स्वीकृति विषयक।

संदर्भ:- 1. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क / 1265 / 775257/22/20-2 दिनांक 04.08.22

2. संचालनालय का पत्र क/समे.छा/अभि/01 दिनांक 169 दिनांक 16.08.22 |

3. संचालनालय का पत्र क्रमांक/समेकित छात्रवृत्ति/अभि./01/2022-23/206 दिनांक 27-09-2022

4. संचालनालय का पत्र क्रमांक/समेकित छात्रवृत्ति/अभि./01/2022-23/282 दिनांक 16-12-2022

5. संचालनालय का पत्र क्रमांक/समेकित छात्रवृत्ति/अभि./01/2022-23/284 दिनांक 16-12-2022

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिनके माध्यम से समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है कि प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय संस्थाओं मे कक्षा 1 से 12 वी तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का शत प्रतिशत नामांकन शिक्षा पोर्टल पर सुनिश्चित किया जाए तदुपरांत समस्त विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेट कर पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति करने के निर्देश इस वर्ष दो चरणों में किये जाने के निर्देश जारी किये गए है |

<u>प्रथम चरण</u> : संदर्भित पत्रों में दिए गए निर्देशानुसार प्रथम चरण में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्व वर्षों के अनुसार ही की जानी है जिले वार नामांकन, प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति की स्थिति परिशिष्ट अ पर संलग्न है| सभी जिले अपने जिले की समीक्षा कर लें यदि नामांकन शेष है तो तत्काल नामांकन कराएं तदनुसार शत प्रतिशत प्रोफाइल अपडेट कराते हुए पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित करें | दिनांक 31/12/2022 को नामांकन की सुविधा पोर्टल पर बंद कर दी जाएगी | यदि नामांकन और प्रोफाइल अपडेशन के कारण कोई विद्यार्थी किसी भी लाभ से बंचित होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला शिक्षा अधिकारी की होगी |

<u>द्वितीय चरण</u> : संदर्भित पत्रों में दिए गए निर्देशानुसार वर्ष 2022-23 से कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का नामांकन किये जाने के उपरांत आधार e-KYC किया जाना अनिवार्य किया गया है | आधार e-KYC के उपरांत ही समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों का भुगतान विद्यार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक एकाउन्ट मे ही किया जाएगा। e-KYC किये जाने की सुविधा शिक्षा पोर्टल पर प्रारंभ है। जिसका विवरण निम्न है :-

1. E-KYC आधार की शर्तों के तहत पहले विद्यार्थी को उनके मोबाइल नंबर से OTP से माध्यम से ऑथेंटिकेशन करना होता है तदुपरांत आधार की सर्विस से आधार e-KYC दो प्रकार से की जा सकती है |
   I. विद्यार्थी के मोबाइल पर OTP प्राप्त करकर |
   II. बायोमेट्रिक डिवाइस द्वारा |
2. समस्त BRCC को प्रत्येक ब्लाक में 20 के मान से ऑपरेटर के id उपलब्ध है यदि स्कूल के पास कंप्यूटर, इन्टरनेट की सुविधा है तो ऑपरेटर id से लॉग इन कर E-KYC कराई जा सकती है | इसके लिए बायोमेट्रिक्स डिवाइस क्रय की जा सकती है| बायोमेट्रिक्स डिवाइस लगभग 2 से 3 हजार की राशि व्यय होगी जिसके लिए शाला में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा |
3. e-KYC कराने हेतु उपरोक्त सुविधायुक्त शालाओं में अन्य पास की शालाओं के लिए समय सारणी निर्धारित कर केम्प लगाकर e-KYC कराई जा सकती है जिससे उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण हो सकेगा |
4. अशासकीय संस्थाओं द्वारा RTE में उपयोग होने वाले यूजर पासवर्ड से शिक्षा पोर्टल पर लॉग इन कर अपने स्कूल का नामांकन/प्रोफाइल अपडेट एवं e-KYC का सत्यापन किया जा सकेगा | यह सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है |
5. विद्यार्थी एवं ऑपरेटर द्वारा e-KYC कराये जाने के पश्चात संबंधित स्कूल के प्राचार्य / शिक्षक द्वारा उसका सत्यापन किया जायेगा | सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थी की समग्र id में दर्ज जानकारी और आधार में दर्ज जानकारी में समानता है | स्पेलिंग आदि में त्रुटी को स्वीकार किया जा सकता है परन्तु ऐसा न हो की आधार किसी अन्य छात्र का और समग्र id किसी अन्य व्यक्ति की है | भिन्न जानकारी होने की स्थिति में रिजेक्ट किया जाए, और इसकी जानकारी संबंधित विद्यार्थी को दी जाये |

e-KYC होने के उपरांत कक्षा ९ से १२ वी में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन पूर्व वर्षों की प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकेगा प्रोफाइल अपडेशन होने पर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की गणना की जाएगी| पात्रता की गणना का परीक्षण उपरांत प्रोफाइल को लॉक किया जाकर छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही संबंधित स्वीकृत कर्ता अधिकारी (संकुल प्राचार्य) द्वारा की जाएगी | यह सुनिश्चित करें की कक्षा 9 से 12 के समस्त विद्यार्थियों के आधार उनके बैंक खाते से अनिवार्यतः रूप से लिंक / सीड हों, अन्यथा ऐसी स्थिति में e-KYC होने के उपरांत भी छात्र के खाते में राशि अंतरित नहीं हो पाएगी |

उपरोक्त समस्त कार्यवाही दिनांक 31/12/2022 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें |

(अभय वर्मा)
आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्र./समे.छात्र/अभि/01/2022-23/ 291 भोपाल दिनांक 21.12.2022

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाती कार्य विभाग म.प्र. शासन।
4. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाती कार्य विभाग, सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, MPSEDC की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, पुस्तक भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री विनय पाण्डेय, सहायक संचालक MPSEDC की ओर उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं पोर्टल पर सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु।
9. आई टी सेल स्थानीय की ओर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.